

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल.

क/बो./यो/गै.तक./45/48/पार्ट-14/13-14/3785 भोपाल दिनांक 15/12/2015
प्रति,

उप सचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय—जबलपुर.(म.प्र.)

विषय :— कृषकों को 5/-प्रति थाली भोजन व्यवस्था हेतु अनुदान राशि विमुक्त किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:— मुख्यालय का कार्यालयीन पत्र क./3675 दिनांक 11.09.2015 एवं पत्र क. 3721 दिनांक 21.10.2015

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रांगण में अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु आने वाले कृषकों को राशि रूपये 5/-प्रति थाली की दर से भोजन व्यवस्था लागू है जिसमें "क" श्रेणी एवं "ख" श्रेणी की मण्डी समितियों अपने स्वयं के स्त्रोतों से, एवं "ग" वर्ग की मण्डी समितियों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान तथा "घ" वर्ग की मण्डी समितियों में शतप्रतिशत अनुदान मण्डी बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है।

मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था हेतु दिये जाने वाले अनुदान के संबंध में परीक्षणों से लगातार दुरुपयोग होने की आंशका बनी हुई है, इस संबंध में शिकायतें भी मिल रही हैं।

अतः कृषकों को 5/-प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराये जाने संबंधी योजना के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में अपने सुझाव एवं अभिमत चाहे गये थे। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। उपरोक्तानुसार अपने सुझाव/अभिमत आज ही ईमेल के माध्यम प्रेषित करें।

उप सचालक(योजना)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
(—) भोपाल